

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 454] No. 454] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 1999/श्रावण 5, 1921 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 1999/SRAVANA 5, 1921

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1999

का॰ जा॰ 599 (अ). — कयर बोर्ड द्वारा, कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि की गई कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उप-विधि, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उप-विधि उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है; अर्थात्:—

- 1. (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन उप-विधि, 1999 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कयर बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उप-विधि, 1969 की उप-विधि 5 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विधि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. पदों का वर्गीकरण—बोर्ड की सेवा के अन्तर्गत सभी पद निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाएंगे :—

क्रम संख्या	पद का वर्णन	पद का वर्गीकरण
1.	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 13,500 रु॰ से कम नहीं है	समूह ''क''
	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान १,००० रु० से कम नहीं है, किन्तु 13,500 रु० से कम है	समूह ''ख''
	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4,000 रु॰ से अधिक है, किन्तु 9,000 रु॰ से कम है	समूह ''ग ''
	कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन या वेतनमान 4,000 रु॰ या उससे से कम है	समूह ''घ''

[फा॰सं॰ 2(1)/99-कयर]

ब्रह्मदत्त, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल उप विधियां, भारत के राजपत्र में का॰आ॰ 200 तारीख 18 जनवरी, 1969 के द्वारा प्राकशित की गई थीं और पश्चात्वर्ती इनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1)

- 1. का॰आ॰ 2279 तारीख 12 जुलाई, 1975
- 2. का॰आ॰ 4389 तारीख 20 नवम्बर, 1976
- 3. का॰आ॰ 4372 तारीख 17 नवम्बर, 1983
- 4. का॰ आ॰ 1075 (ई) तारीख 22 नवम्बर, 1988
- का॰आ॰ 779 (ई) 23 अक्टूबर, 1992

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 1999

- S. O. 599(E).—The following bye-laws further to amend the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969 made by the Coir Board, in exercise of powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) of Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) read with bye-laws 15 and 16 of the Coir Board (Transaction of Business, Conditions of Service of Employees and Maintenance of Accounts) Bye-laws, 1955 and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of section 27 of the said Act, namely:—
 - 1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Bye-laws, 1999.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Coir Board Services (Classification, Control and Appeal) Bye-laws, 1969, Bye-Law 5 shall be amended, namely:—

Classification of Posts:

All posts under the Board's service shall be classified as follows:—

Sl.No.	Pay of maximum of the scale of the Grouping posts	Group
1.	Not less than Rs. 13,500	A
2.	Not less than Rs. 9,000 but less than Rs. 13,500	В
3.	Over Rs. 4,000 but less than Rs. 9,000	C
4.	Rs. 4,000 or less	D

[F. No. 2(1)/99-Coir]

BRAHM DUTT, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal Bye-Laws were published in the Gazette of India vide S. O. No. 200 dated the 18th January, 1969 and subsequently amended vide—

- 1. Notification S. O. 2279 dated the 12th July, 1975.
- 2. Notification S. O. 4389 dated the 20th November, 1976.
- 3. Notification S. O. 4372 dated the 17th November, 1983.
- 4. Notification S. O. 1075(E) dated the 22nd November, 1988.
- 5. Notification S. O. 779(E) dated the 23rd October, 1992.